संख्या 3593/XXX(2)/2005

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 09 नवम्बर, 2005

विषयः– **विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 662/का–2–2002 दिनांक 18.07.2002 तथा शासनादेश संख्या 1009/कार्मिक–2/2003 दिनांक 08.07.2003 द्वारा विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने हेतु व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है । उक्त शासनादेशों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, सेवायोजन स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप, स्कालरशिप, प्रतिनियुक्ति तथा निजी कार्य एवं निजी व्यय पर विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

2 प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने के प्रस्तावों पर सीधे ही अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाती है, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी के विदेश यात्रा के प्रस्ताव का परीक्षण उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है । अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्थानुसार भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष तथा निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के विदेश प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार

इत्यादि प्रस्तावों को सर्वप्रथम कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जाय । कार्मिक विभाग द्वारा ही प्रस्तावों पर उच्चानुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव ।

संख्या 34930/xxx(2)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।